न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 43/2023 बउनवानी श्रीमति संतोष गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर/
निवासी मकान नम्बर 185/89, प्रताप नगर जयपुर /तहसीलदार बौंली
GCMS No-2023/90

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
31.8.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.3.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर /तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. ख0न0 2107, 4845 मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर स्थित है।
2. ख0न0 2107, 4845 का कन्वर्जन नही हुआ है ऐसा इनके द्वारा बताया गया है तो फिर इस खसरों पर दुकानो का निर्माण कैसे कर लिया गया है। इन तथ्यों को छुपाया गया मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर स्थित है।
3. मेरे पूर्व के पत्र में इनसे यह पूछा गया था कि सन् 1995 मे उस नक्शे की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे जिसमे ख0न0 1423/1 व सड़क एक साथ दिखाई देवे उपलब्ध नही करवाया गया है।
4. ख0न0 1423/1 की सन्1995 मे क्या लम्बाई व चौडाई थी इसकी सूचना नही दी गयी है।
5. ख0न0 1423/1 को 8 भागो मे विभाजित कर रखा है इनमे से वह सूची उपलब्ध करावे जिसमे दुकानो का निर्माण कर लिया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/88 दिनांक 16.8.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 8.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 मे चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना पत्रांक 88 दिनांक 16.8.2023 से एवं बिन्दु संख्या 5 की सूचना जरिये पूर्व पत्रांक 27 दिनांक 27.12.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा जरिये पत्रांक 5479 दिनांक 16.8.2023 से अवगत करवाया कि चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर बौंली के कार्यालय से नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.3.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 मे चाही गयी सूचना का यद्यपि पूर्ण विवरण अंकित नही किया गया है एवं चाही गयी सूचन प्रश्नात्मक है किन्तु फिर भी तहसीलदार बौंली द्वारा न्यायहित में अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 2,3,5 के संबंध में अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवायी गयी है या वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।
आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner